

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, राँची

दा० खा० पुनरीक्षण वाद सं० 08 आर० 15/2022-23

11
22.06.2023

हरेन्द्र नाथ सिंह मुण्डा पिता स्व० मोहर सिंह मुण्डा, निवासी ग्राम
सोनाहातु, थाना एवं पोस्ट सोनाहातु, जिला राँचीप्रार्थी

बनाम

राजेश कुमार जायसवाल पिता महादेव भगत, निवासी पुराना
सुखदेवनगर, थाना पण्डरा, जिला राँची उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान भूमि सुधार
उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं०
62/2020-21 में दिनांक 03.03.2022 को पारित आदेश के खिलाफ
दायर किया है, जिसके अन्तर्गत उन्होंने प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद के
उत्तरवादी राजेश कुमार जायसवाल द्वारा दायर अपील को स्वीकृत करते
हुए अंचल अधिकार सोनाहातु को उत्तरवादी राजेश कुमार जायसवाल के
पक्ष में मौजा सारमाली, थाना सोनाहातु, थाना सं० 57 के खाता सं०
120, प्लॉट सं० 132, रकबा 0.20 ए० भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करने
का आदेश पारित किया है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मौजा
सारमाली, थाना सोनाहातु, थाना सं० 57, जिला राँची के खाता सं० 120
कुल रकबा 5.17 एकड़ भूमि प्रार्थी एवं उनके सह-हिस्सेदारों की पैतृक
सम्पत्ति है। उपरोक्त खाते की भूमि मौजा सारमाली के खेवट सं०
-7/3 के अन्तर्गत दर्ज है, जो खेवट सं० 7/1 एवं 7/2 का
सम्मिलात खेवट है। प्रार्थी उपरोक्त खेवटों के खेवटदार के वंशज है।
उपरोक्त प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी के पूर्वज काशीराम सिंह एवं
दालगोविन्द सिंह एवं अन्य द्वारा देवनाथ भगत को दिनांक 15.03.1928
द्वारा भुगतबंधक में मात्र 7 वर्षों के लिए संवत् 1985 से 1991 तक के
लिए दिया था, जो वर्ष 1930 को हुए सर्वे के दौरान प्रकाशित खतियान
में अंकित है। उपरोक्त सात वर्षों की अवधि गुजरने के उपरान्त प्रश्नगत
भूमि प्रार्थी के पूर्वज को वापस मिला तथा वे उक्त भूमि पर दखलकार

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर व कारवाई के ब, टिप्पणी, तारीख साथ।
1	2	3

2

हुए तथा उनके मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि प्रार्थी एवं उनके सह हिस्सेदार के दखल कब्जे में आयी।

उपरोक्त देवनाथ भगत के उत्तराधिकारी सुशील कुमार भगत एवं अन्य ने घोखाधड़ी कर उपरोक्त मुण्डारी भूमि को उत्तरवादी के पक्ष में निबंधित पट्टा सं० 708/686 दिनांक 20.12.2018 द्वारा हस्तांतरित कर दिया। सुशील कुमार भगत वैगरह को उपरोक्त भूमि को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

उत्तरवादी का यह दावा एकदम गलत है कि है कि उनके विक्रेता के पूर्वज देवनाथ भगत प्रश्नगत भूमि को वर्ष 1920 ई० में दलगोविन्द सिंह वैगरह से प्राप्त किया था, अपितु उपरोक्त प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी के पूर्वज काशीराम सिंह एवं दालगोविन्द सिंह एवं अन्य द्वारा देवनाथ भगत को दिनांक 15.03.1928 द्वारा भुगतबंधक में मात्र 7 वर्षों के लिए संवत् 1985 से 1991 तक के लिए दिया था। वर्ष 1920 ई० में मुण्डा जनजाति सदस्य की भूमि गैर जनजाति सदस्य को हस्तांतरित नहीं हो सकती थी।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियान में देवनाथ भगत वल्द रघुनाथ भगत के नाम से दर्ज है। उपरोक्त भूमि देवनाथ भगत ने दलगोविन्द सिंह वैगरह से निबंधित पट्टा दिनांक 22.06.1920 द्वारा प्राप्त किया है। भूमि क्रय के पश्चात देवनाथ भगत वैगरह दखल में आये, तदनुसार खतियान में उपरोक्त भूमि देवनाथ भगत के नाम से दर्ज हुआ। उपरोक्त देवनाथ भगत के वंशज के द्वारा प्रश्नगत भूमि को निबंधित केवाला सं०- 686 दिनांक 20.12.2018 द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। उत्तरवादी अपने उपरोक्त खरीदगी भूमि पर दखलकार है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी का दावा उनके प्रश्नगत भूमि के स्वत्वाधिकारी एवं हित के घोषणा से संबंधित है। प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उनके नाम से कायम है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त दा० खा० अपील वाद सं० 62/2020-21 में दायर हस्तक्षेप आवेदन (Intervention application) दिनांक 03.10.2020 को दखल कब्जा एवं पूर्व में जमाबंदी कायम नहीं होने के आधार पर दिनांक 21.10.2021 को खारिज कर दिया गया था।

का क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3


प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 63/2020-21 में दिनांक 03.03.2022 को पारित अंतिम आदेश के अन्तर्गत दायर किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील वाद में दायर हस्तक्षेप आवेदन (Intervention application) को दिनांक 21.10.2021 को ही खारिज कर दिया गया था, अतः उन्हे प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर करने का कोई लोकस स्टैन्डाई नहीं है।


उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का दावा प्रश्नगत भूमि के हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि से संबंधित है, जिसका न्यायिक निर्णय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा एक सरांश कार्यवाही (summary proceeding) नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 62/2020-21 में दिनांक 21.10.2021 को पारित आदेश बहाल रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपना हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि की घोषणा सक्षम न्यायालय से कराने हेतु वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त
राँची


उपायुक्त
राँची